न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 252/2012

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 मांगुसिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 उम्मेद सिंह पुत्र स्व. नन्द सिंह।
2 तेज सिंह पुत्र स्व. नन्द सिंह।
3 दयाल सिंह पुत्र स्व. नन्द सिंह।
4 नारायण सिंह पुत्र चन्द्र सिंह।
5 माल सिंह पुत्र चन्द्र सिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
6 भूधारक तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटी एक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री मुकदमा नं. 174/11
दिनांक 09.08.12 द्वारा उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर जिला सीकर आर.पी.सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवत सिंह चारण अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–14.09.18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा वाद संख्या 174/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 566/2168 रकबा 3.40 है। खसरा नम्बर 565/2167 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 4.10 हैक्टेयर राजस्व ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है जिसके 1/2 हिस्से के खातेदार खुद काबिज काश्तकार अपीलान्टस व औप. रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 अपने पिता चन्द्र सिंह की फुट स्टेप पर कदीम से चले आ रहे है। उपरोक्त भुमियो के सम्बंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने एक मिथ्या दावा बउनवानी उम्मेद सिंह बनाम नारायण सिंह आदि दावा संख्या 174/11 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहां पेश किया जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 4व 5 जरिये वकील उपस्थित हुये। जिनके विरूद्व दिनांक 30.05.2012 को एक तरफा कार्यवाही आदेश जारी कर अपीलान्टस/ प्रतिवादीगण को सुचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा दावे मे कोई साक्ष्य सबुत गवाही दस्तावेज लिये बिना ही घोषणा की डिक्री जारी कर दी जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर बिना कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य लिये केवल मात्र कमीश्नर रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है विचाराधीन निर्णय में तथ्यों का एवं दस्तावेज का कोई विवेचन नही किया गया है अपीलांट को निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन के साथ अपील पेश कर दी है। धारा 5 का आवेदन एवं अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील मियाद बाहर है अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही कर प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन कर विधि अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अत अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर वादी अथवा प्रतिवादी की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्राप्त किये बिना केवल मात्र नायब तहसीलदार की मौका कमिश्नर रिपोर्ट का हवाला देते हुये बिना किसी विवेचन के विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। राजस्थान रेवन्यू कोर्ट मैन्यूअल के प्रावधानों के विपरित होने से विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है न्यायाहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त करे, वाद व जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम करें, उभयपक्ष की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्राप्त करे इसके उपरान्त उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर विधि अनुसार पुन निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

14.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर